कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांकः स्था0/प.48/2022/01 दिनांकः 03.01.2022

:: आदेश ::

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या RHC/Exam.Cell/Sub.Court/Steno/2020/17 दिनांक 18.01.2020 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)81/21/1119 दिनांक 23.12.21 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

Sr. No.	Name of Candidate	Date of Birth	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Allotted Category
1	Sh. Sanjay Shukla	25.05.1995	103	20754	Male	General	GEN
2	Sh. Lokesh Kumar	13.03.1998	333	24671	Male	SC	SC

1. सभी नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका संख्या 12836/2021 एवं 12897/2021 एवं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाली अन्य याचिका एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगीं।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोटः उक्त नव–नियुक्त आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया गया है। इस आदेश की प्रति पदस्थापन आदेश के साथ संलग्न कर संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जावे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)
दिनांकः 03.01.2022

क्रमांकः स्था0/प.48/2022/26 दिनांकः 03.01.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली
02. श्री संजय शुक्ला पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शुक्ला, निवासी शुक्ला सदन, सदर बाजार, जैन मन्दिर के पास, करौली, जिला करौली (राज.)
03. श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री बृज मोहन कनबाडिया, निवासी प्लॉट न. 58, रैगर बस्ती, हसनपुरा बी, जयपुर, जिला जयपुर (राज.)
04. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय करौली को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. आदेश/निजी/संबधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज0)

क्रमांकः स्था0/प.48/2022/02 दिनांकः 03.01.2022

:: आदेश ::

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या RHC/Exam.Cell/Sub.Court/Steno/2020/17 दिनांक 18.01.2020 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)81/21/1119 दिनांक 23.12.21 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (अंग्रेजी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति इस कार्यालय में निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

Sr. No.	Name of Candidate	Date of Birth	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Allotted Category
1	Sh. Manish Prajapati	28.10.1997	41	55847	Male	OBC-NCL	GEN

1. सभी नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका संख्या 12836/2021 एवं 12897/2021 एवं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाली अन्य याचिका एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगीं।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इस आदेश का इन्द्राज नव–नियुक्त कार्मिक की सेवा–पुस्तिका में किया जावे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)
दिनांकः 03.01.2022

क्रमांकः स्था0/प.48/2022/29

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली
02. श्री मनीष प्रजापति पुत्र श्री मुरारी लाल प्रजापति, निवासी– 5, मोनिका विहार कॉलोनी–।, रजत पथ के सामने, मांग्यावास रोड, मानसरोवर, जयपुर, जिला–जयपुर (राज.)
03. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय करौली को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
04. आदेश/निजी/संबधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली (राज0)

क्रमांकः डालसा/आदेश/2022/01 दिनांकः 03.01.2022

:: आदेश ::

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या RHC/Exam.Cell/Sub.Court/Steno/2020/17 दिनांक 18.01.2020 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)81/21/1120 दिनांक 23.12.21 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति इस कार्यालय में निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

Sr. No.	Name of Candidate	Date of Birth	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Allotted Category
1	Sh. Manvender Singh	27.07.1998	192	21402	Male	General	GEN

1. सभी नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका संख्या 12836/2021 एवं 12897/2021 एवं इस सम्बन्ध में प्रस्तुत एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाली अन्य याचिका एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगीं।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इस आदेश का इन्द्राज उक्त नव–नियुक्त कार्मिक की सेवा–पुस्तिका में किया जावे।

Sd/-
अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
करौली (राज0)

क्रमांकः डालसा/2022/10 दिनांकः 03.01.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली
02. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
03. श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री तीरथ सिंह, निवासी– जिला उपभोक्ता न्यायालय, हनुमानगढ, हनुमानगढ जंक्शन, जिला हनुमानगढ (राज.)
04. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय करौली को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. आदेश/निजी/संबधित पत्रावली

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
करौली (राज0)